

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विषयन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क. / बोर्ड / सी.एम. / हे. / ए.एच.डी.डी. / 2018-19 / 1080

भोपाल, दिनांक 04/11/2019

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....(समरत)

विषय:- सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का ट्वरित निराकरण के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि सी.एम. हेल्पलाईन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु एल-01, एल-02 एवं एल-03 द्वारा शिकायतों के संबंध में जो तथ्य पोर्टल पर फीड किये जा रहे हैं, उसमें प्रचलित नियमों/निर्देशों के तहत कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं किया जाना जिससे प्रश्नाधीन शिकायते एल-04 पर परिवर्तित हो रही है।

आपके द्वारा प्रश्नाधीन शिकायतों के संबंध में जो प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिसमें यह देखने में आया है कि, प्रतिवेदनों में एक पेज पर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, शेष पेजों पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं रहते हैं, जबकि प्रतिवेदनों के प्रत्येक पेजों पर परीक्षणकर्ता अधिकारी की पदमुद्रा के साथ सचिव के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जिससे किसी प्रकार की प्रतिवेदन में कोई कॉट-छाट अन्य के द्वारा नहीं की जा सके।

1. एल-1 की शिकायतों के निराकरण के लिए प्रत्येक मंडी सचिव प्रत्येक ~~शिकायतों~~ से दूरभाष पर चर्चा कर निराकरण करें, यदि अन्य विभाग की शिकायत है, तो उसे रांबंधित विभाग को स्थानांतरित करते हुए प्रतिवेदन नोडल मंडी सचिव को भेजें, जिसमें सचिव के हस्ताक्षर भी अनिवार्य रूप से रहे।

2. एल-2 की शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल मंडी सचिव उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें। जो शिकायतें पोर्टल पर बंद नहीं हो रही हैं, उनका प्रतिवेदन तैयार कर हस्ताक्षर सहित आचंलिक कार्यालय को प्रस्तुत किए जावें।

3. एल-3 की शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल मंडी सचिव एवं मंडी सचिव द्वारा शिकायतों के निराकरण के लिए भेजे गए प्रतिवेदन में स्पष्ट निराकरण के साथ हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन आचंलिक कार्यालय के माध्यम से मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्रस्तुत किए जावें।


4. एल-4 की शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल मंडी सचिव एवं मंडी सचिव से प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण कर संयुक्त संचालक आचंलिक कार्यालय के द्वारा स्पष्ट अग्रिमत के साथ हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किए जावें।

B

5. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में उल्लेखनीय है, कि प्रत्येक सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में भी समय—सीमा की बैठक में सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा की जाती है। वहाँ भी शिकायतों का निराकरण कराया जावें।

6. सी.एम.हेल्पलाइन की प्राप्त शिकायतों के संबंध में कार्यवाही सेवाविनियम, मड़ी अधिनियम एवं आवंटन नियम तथा निर्देशों के तहत की जाना है, तो उन नियमों का उल्लेख अनिवार्य रूप से पोर्टल पर फीड की जाने वाली जानकारी में करे, ताकि शिकायत का निराकरण हो सके।

कृपया उपरोक्त स्तर पर लंबित शिकायतों का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण किया जावें तथा मुख्यालय रत्तर पर लंबित शिकायतों का प्रतिवेदन आचंलिक कार्यालय के माध्यम से तत्काल समय—सीमा में भेजना सुनिश्चित करे।



(अशोक कुमार वर्मा)


प्रबंध संचालक

मोप्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बोर्ड/सी.एम./हे./ए.एच.डी.डी./2018-19/**1081**
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भोपाल, दिनांक **५/११/२०१९**

1. संयुक्त संचालक/उपसंचालक मोप्र० राज्य आचंलिक कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा।



प्रबंध संचालक

मोप्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल